

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा।

दाखिल खारिज वाद सं०-02/2012-13

अरुण साह

बनाम्

अमित साह वगै०

आदेश

17.11.18
अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता श्री अरुण साह, पे०-बैजनाथ साह, साकिन-गोड्डा टाउन ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामान्तरण वाद सं०-33/2009-10 अन्तर्गत दिनांक-03.03.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।

प्रसांगिक भूमि मौजा-गोड्डा टाउन, थाना नं०-502, खाता नं०-325, दाग नं०-165, रकवा-18 धुर 15 धुर भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है।

संबंधित नामान्तरण वाद सं०-33/2009-10 का अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर से प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रासंगिक भूमि बसौड़ी रैयत की भूमि है। अमित उर्फ बबलू साह वगै० को भूमि उनके पिता- वैजनाथ साह द्वारा निबंधित दस्तावेज से हस्तान्तरण किया गया है। जिसका दाखिल-खारिज शांतिपूर्ण दखल-कब्जा होने के कारण अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा दिनांक- 23.03.2010 को किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि इस भूमि के संबंध में सिविल कोर्ट में वाद सं०-68/07 अरुण साह बनाम् दिलीप साह लंबित है। ऐसी परिस्थिति में दाखिल-खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। आवेदक अरुण साह, पिता- स्व० वैजनाथ साह द्वारा उनके हिस्से की भूमि का दाखिल-खारिज किये जाने को गलत बताते हुए रद्द करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि प्रथम पक्ष का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। वैजनाथ साह द्वारा 18.09.1954 को उक्त भूमि केवाला द्वारा अनिरुद्ध साह भाई के साथ क्रय किया गया था। आपसी बँटवारा के क्रम में दाग नं०-165 भूमि वैजनाथ साह के हिस्से में आयी। वैजनाथ साह द्वारा अपने पुत्र अरुण साह को 1978 में अलग कर खेसरा नं०-180 में घर दे दिया जहाँ वे अपना व्यापार अलग से करते हैं। 20.07.2007 को वैजनाथ साह से उनके द्वारा भूमि को क्रय किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आपत्ति को रद्द किया जाय।

उपरोक्त परिस्थिति में स्पष्ट होता है कि वैजनाथ साह से अमित उर्फ बबलू साह वगै० द्वारा भूमि को क्रय किया गया है। शांतिपूर्वक दखल-कब्जा के आधार पर दाखिल-खारिज वाद सं०-33/2009-10 द्वारा 23.03.2010 को अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा आदेश पारित किया गया है। आपत्ति अपील को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड्डा।

वैजनाथ साह
27/11/18

27.11.18